


कार्यालय भू-प्रबन्ध, आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक/फा/भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/4/80 पार्ट-4/3004 दिनांक: 22/7/05

परिपत्र

श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता में कपड़े व लटटे पर नक्शा शीट उपलब्ध करवाने के संबंध में आयोजित मीटिंग दिनांक 4.4.2005 के कार्यवाही विवरण में यह निर्देशित किया गया है कि जिन जिला कलेक्टरों को नक्शे शीट की पुनः आवश्यकता हो तो संबंधित जिला कलेक्टर संबंधित भू-प्रबन्ध अधिकारी को मूल सर्वे शीट भिजवादे, भू-प्रबन्ध अधिकारी मूल सर्वे शीट से इन्जीनियरिंग प्लान प्रिन्टर से नक्शे की प्रति तैयार कर संबंधित जिला कलेक्टर को संभला दें ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि विभाग द्वारा भू-प्रबन्ध संकियाएं बन्द घोषित हो जाने पर जिला कलेक्टरों को इन्जीनियरिंग प्लान प्रिन्टर से तैयार किये गये नक्शे उपलब्ध करवाये गये हैं अगर उक्त नक्शे कार्य में आते आते जीर्ण शीर्ण हो गये हैं तो संबंधित तहसीलदार जिला कलेक्टर से मूल सर्वे शीट प्राप्त कर संबंधित भू-प्रबन्ध अधिकारी के यहां से इन्जीनियरिंग प्लान प्रिन्टर से उसकी प्रति तैयार करवाकर प्राप्त करलें । अगर भू-प्रबन्ध अधिकारी के यहां ई0पी0पी0 मशीन खराब हो तो संबंधित भू-प्रबन्ध अधिकारी मुख्यालय से ई0पी0पी0 कार्य पूर्ण कर संबंधित जिला कलेक्टर को उपलब्ध करावें । उक्त निर्देशों की समग्र रूप से पालना सुनिश्चित की जावें ।




(गहेन्द्र सुराणा)
भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।
दिनांक: 22-7-05

क्रमांक/समसंख्यक: 3005-3048

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- उप-शासन सचिव, राजस्व (मुप-1) विभाग को उनके पत्र क्रमांक:प -13(17) राज-1/2000 दिनांक 15.6.2005
- 2- समस्त जिला कलेक्टरों ।
- 3- समस्त भू-प्रबन्ध अधिकारी



भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।